

हुक्म

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज

14/06/22

पञ्जावली हाऊ पेरा डूरी वकील जशी हुक्म
 विजयीगण महुजस्थित विजयीगण के
 कावरे दिलाई गरी बावुर कावरे
 दिलाई के महुजस्थित रहे के
 विजयीगण के खिलाफ एक तरफ
 कार्यवाही भी जारी है वकील जशी
 के कहल हुकी गरी कोर्टे मकर के
 खिलाफ जाकर हुक्मे न्यायालय हुक्म
 गला। कोर्टे भी फालगारि तहरीर जारी
 होई समाक फालगारि हुक्मे पर समाक
 पञ्जावली की मके पञ्जावली विरुद्ध हुक्म
 होकर जारी इत्य हो।


 उपमण्ड अधिकारी, गुडमालानी



उपमण्ड अधिकारी, गुडमालानी (बिडनर)
 कोर्टे मकर के मकर हुक्म अरएएए

1. आजंणा युवा विकास संस्थान गुडामालानी जिला बाड़मेर जरिये अध्यक्ष गणेशाराम पुत्र वरांगाराम
जाति कलवी हाल निवासी गुडामालानी

विप्रार्थीगण :-

बनाम

1. आसूराम पुत्र जवाराराम
2. छोगाराम पुत्र रूगाराम
3. जेरूपाराम पुत्र रायमलराम
4. धूखाराम पुत्र जवानाराम
5. पांचाराम पुत्र जवानाराम
6. मगाराम पुत्र रायमलराम
7. मालाराम पुत्र रायमलराम
जाति रबारी निवासी आलपुरा
8. रामेश्वरी पत्नी अचलाराम
9. कमला पत्नी गोपालराम
10. गवरी पत्नी कानाराम
11. प्रमेश्वरी पत्नी मोहनलाल
12. सुशीला पत्नी छोगाराम
13. रूगनाथराम पुत्र रूगाराम
14. भवराराम पुत्र जगाराम
15. तोगाराम पुत्र जगाराम
16. दुरगाराम पुत्र जगाराम
17. मिश्रराराम पुत्र जगाराम
18. दलाराम पुत्र जगाराम
19. मकाराम पुत्र जगाराम
20. मकाराम पुत्र सोनाराम
21. राधा पत्नी जगाराम
22. नरिंगाराम पुत्र रूगाराम
23. किसनाराम पुत्र रूगाराम
24. जीवाराम पुत्र जगाराम
जाति जटिया निवासी आलपुरा तहसील गुडामालानी
25. रम्भा पत्नी सोनाराम फौत के वारिसान
25/1 पीराराम पुत्र सोनाराम
25/2 लालाराम पुत्र सोनाराम
26. छगन पत्नी भगाराम
जाति कलबी निवासी भाखरपुरा तहसील गुडामालानी
27. शांति पत्नी जेठाराम जाति पुरोहित निवासी सिन्द सागर कॉ-ऑपरेटिव सोसायटी 5 फ्लोर नम्बर
506 केशव राजमार्ग बुम्बई महाराष्ट्र
28. सरपं ग्राम पंचायत आलपुरा तहसील गुडामालानी
29. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई. गुडामालानी
30. तहसीलदार गुडामालानी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

-:: आदेश ::-

दिनांक :- 14/6/22


प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु,नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरुद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण के विरुद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

खण्ड अधिकारी, गुडामालानी

हमने प्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री गंगाराम चौधरी की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2072-2075 (2078 से स्थायी) सरहद मौजा आलपुरा पटवार हल्का आलपुरा के खेत खसरा नम्बर 215/11 रकबा 1.9425 हैक्टेयर, का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माटे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पड़ौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित खसरा सरहद मौजा आलपुरा के खेत खसरा नम्बर 215/11 रकबा 1.9425 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को 500/- शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार गुड़ामालानी को थानाधिकारी पुलिस थाना गुड़ामालानी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 14/6/22 को खुले न्यायालय सुनाया गया।


(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी